महत्वपूर्ण
संख्या– 304 /नौ–9–2021–21ज/21

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**, उ0प्र0।
2. **समस्त जिलाधिकारी**, उ0प्र0।
3. **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम, उ0प्र0 ।
4. **समस्त मुख्य कार्यपालक** अधिकारी, छावनी परिषद, उ0प्र0।
5. **समस्त अधिशासी अधिकारी**, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊः दिनांक २५ मार्च, 2021**

विषयः–15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगरीय स्थानीय निकायों को अवमुक्त अनुदान का उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग Department of Expenditure (Finance Commission Division), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–15(2)FC-XV/FCD/2020-25, दिनांक 01.06.2020 द्वारा निर्गत ऑपरेशनल गाइडलाइन के प्राविधानों एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) द्वारा समय–समय पर की गयी संस्तुतियों/15वें वित्त आयोग के Annexure-5.5 द्वारा निर्धारित मापदण्डों तथा इसी क्रम में संयुक्त सचिव, भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–N-11025-01/2018-AMRUT-IIB दिनांक 04 अगस्त, 2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुमन्य है।

2. 15वें वित्त आयोग की संस्तुति में नगरीय निकायों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के विषयगत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये (Million Plus Cities) एक पृथक श्रेणी बनायी गयी है और अन्य निकायों को Non Million Plus Cities के रूप में अनुदान अवमुक्त किये जाने विषयक संस्तुति की गयी है।

3. Million Plus Cities (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों) के सम्बन्ध में मुख्य बिन्दुः–

उपरोक्त श्रेणी में राज्य के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद एवं मेरठ नगर निगम आते हैं। उक्त 07 निकायों में परिवेशी वायु गुणवत्ता, जल संरक्षण, आपूर्ति एवं प्रबन्धन में सुधार तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के अनुक्रम में धनराशि अवमुक्त होगी।

3.(I) - परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) में सुधार हेतु :–

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में निकायवार (City Wise) एवं वर्षवार (Year Wise) Annual average concentration of PM10 और PM2.5 पर आधारित परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) में सुधार किये जाने के लक्ष्यों का निर्धारण वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक किया जायेगा। इस मद में द्वितीय किश्त वर्ष–प्रतिवर्ष वायु गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में निर्धारित Performance based outcomes के

आधार पर अवमुक्त किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को **वायु गुणवत्ता सुधार** (Air Quality Improvement) के साथ–साथ उक्त हेतु अपेक्षित क्षमता निर्माण (Capacity Building) हेतु व्यय किया जा सकेगा। इस कार्य के लिये नगर निगमों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) से अपेक्षित परामर्श प्राप्त किया जायेगा तथा इसके साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) के सुधार एवं monitoring में नगर निगमों को समुचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

नगर आयुक्त का यह दायित्व होगा कि वह Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में वर्षवार (Year Wise) Annual average concentration of PM10 and PM2.5 पर आधारित परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) में सुधार किये जाने के लक्ष्यों का निर्धारण कराने एवं उसके सापेक्ष Performance based outcomes सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्य करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को अवगत करायेंगे।

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC)शीघ्र ही इस संबंध में बेंचमार्क प्रकाशित करेगी। Ambient Air Quality के सुधार की दिशा में Million Plus Cities (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों) के द्वारा यदि निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि प्राप्त नहीं की गयी तो उनके शहर के लिए स्वीकृत अवशेष धनराशि 15वें वित्त आयोग की दिशा–निर्देश के अनुसार अन्य नगरीय निकायों को दे दी जायेगी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपरोक्त विषयगत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने O.M/परिपत्र Q-16017/25/2020-CPA दिनांक 22.02.2021 के द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है, जिसके अनुसार परफार्मेस इवैल्यूएशन 2020–21 हेतु किया जायेगा।

3 (II). जल संरक्षण, आपूर्ति एवं प्रबन्धन में सुधार (Improving Conservation, Supply and Management of Water) तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (Efficient Solid WasteManagement) हेतुः–

नोडल मंत्रालय के रूप में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर निगमवार (City Wise) एवं वर्षवार (Year Wise) वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। उक्त मद में अवमुक्त धनराशि तदनुसार उपरोक्त विषयगत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियान्वित किये जाने वाले प्रोजेक्ट/कार्यों के लिये शतप्रतिशत Tied Grant के रूप में निकायों द्वारा उपयोग किया जायेगा।

3 (III). परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट

उक्तानुसार वायु गुणवत्ता सुधार (Air Quality Improvement), जल संरक्षण, आपूर्ति एवं प्रबन्धन में सुधार (Improving Conservation, Supply and Management of Water - including Rainwater Harvesting & Waste Water Recycling), सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (Solid Waste Management-Efficient Solid Waste Management measures), गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग (Garbage Free Star Rating) के संदर्भ में निर्धारित Performance based outcomes सुनिश्चित किये जाने के लिये नगर आयुक्त द्वारा यथा आवश्यक परियोजनाओं का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा।

3 (IV). शेल्फ ऑफ प्रोजेक्टस में वरीयता :–

परियोजनाओं के चयन किये जाने में यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि यदि निकाय में किसी भी केन्द्रीय सहायतित योजना (Centrally Sponsored Scheme) जैसे अमृत/स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), आदि से सम्बन्धित किसी परियोजना/कार्य में कोई ऐसा कार्य/परियोजना स्वीकृत हो, कियान्वित हो रहा हो, जिसकी प्रकृति Tied Grant में वर्णित कार्यों के अनुरूप है एवं उपर्युक्त हेतु निकायांश वांछित है, तो

उपर्युक्त उपलब्ध Tied Grant से तद्नुसार सम्बन्धित केन्द्रीय योजनाओं अन्तर्गत निकाय में स्वीकृत उक्त कार्य/परियोजनाओं के निकायांश का वहन प्राथमिकता पर किया जायेगा।

3 (V). 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के लिये Tied Grant क्लेम करने के लिए मार्किंग स्कीम (Marking Scheme):–

15वें वित्त आयोग के अनुदान को क्लेम करने के लिये कतिपय अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। Tied Grant हेतु 15वें वित्त आयोग ने भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक निकायवार (City Wise) एवं वर्षवार (Year Wise) लक्ष्य निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तैयार किये गये मार्किंग स्कीम (Marking Scheme) के अनुसार उपलब्धि अर्जित करने की दशा मे ही ग्रांट अवमुक्त करने को अनिवार्य किया गया है। इस विषय में विस्तृत विवरण Annexure I (संलग्नक **'क'** हिन्दी अनुवाद) पर दृष्टव्य है, जिसके अनुसार निकायों द्वारा एक्शन प्लान बनाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

4- Non Million Plus Cities (10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों) के संबंध में मुख्य बिन्दुः–

4 (I) मिलियन प्लस शहरों के अतिरिक्त अन्य नगरीय निकायों/कैण्टोनमेन्ट बोर्ड को स्वीकृत 50% धनराशि बेसिक ग्रान्ट (Untied Grant) के रूप में अवमुक्त की जायेगी व अवशेष 50% धनराशि निर्दिष्ट अनुदान Tied Grant के रूप में अवमुक्त की जायेगी। **बेसिक ग्रान्ट** (Untied Grant) स्थानीय आवश्यक्ताओं के अनुरूप (वेतन एवं अधिष्ठान संबंधित व्यय को छोड़कर) व्यय की जा सकेगी जबकि Tied Grant निम्नलिखित मदों पर 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के संलग्नक 5.6 में दिये गये parameters के अनुसार व्यय की जा सकेगी, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित कार्य किये जायेंगेः–

- **पेयजल में सुधार** (Improving Water including Rainwater Harvesting & Waste Water Recycling)
- **सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट** (Solid Waste Management)

4(II) परियोजनाओं का चयन व प्राथमिकता :– 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगरीय स्थानीय निकायों को निर्गत अनुदान का उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत उपयुक्त परियोजनाओं के चयन एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निकाय द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजनाओं के चयन किये जाने में यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि यदि निकाय क्षेत्र में किसी केन्द्रीय सहायतित योजना (Centrally Sponsored Scheme) जैसे अमृत/स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) आदि से सम्बन्धित किसी परियोजना/कार्य में कोई ऐसा कार्य/परियोजना स्वीकृत हो, कियान्वित हो रही हो, जिसकी प्रकृति Tied Grant में वर्णित कार्यों के अनुरूप है एवं उपर्युक्त हेतु निकायांश वांछित है, तो उपर्युक्त उपलब्ध Tied Grant से तद्नुसार सम्बन्धित केन्द्रीय योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत कार्य/परियोजनाओं के निकायांश का वहन प्राथमिकता पर किया जायेगा।

निकायों को अवमुक्त की जा रही Untied Grant के विषयगत भी उपरोक्तानुसार निकाय में क्रियान्वित केन्द्रीय योजनाओं हेतु वांछित निकायांश सर्वोच्च प्राथमिकता पर निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्तनुसार निकाय में क्रियान्वित हो रही किसी केन्द्रीय योजना हेतु वांछित निकायांश की आवश्यकता न होने पर तदनुसार अग्रेतर निकाय द्वारा अन्य परियोजनाओं पर मार्गदर्शिका के अनुरूप जारी निर्देशों के अनुक्रम में अनुमन्य कार्यों हेतु कार्यवाही की जा सकेगी।

4(III) पेयजल में सुधार तथा सॉलिड वेस्ट के विषयगत Tied Grant :–यदि किसी नगरीय निकाय के द्वारा उक्त दोनों श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में पूर्णरूप से संतृप्तता (Saturation) प्राप्त कर ली गयी हो तो वह उपलब्ध Tied Grant अन्य श्रेणी में व्यय कर सकेंगे। Tied Grant की आगामी किश्तें निकायों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त की गयी उपलब्धि के आंकलन एवं विश्लेषण के पश्चात् भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संस्तुति के पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।

4(IV). 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के लिये Tied Grant **क्लेम करने के लिए मार्किंग स्कीम (**Marking Scheme**):–**

15वें वित्त आयोग के अनुदान को क्लेम करने के लिये कतिपय अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। Tied Grantहेतु 15वें वित्त आयोग ने भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक निकायवार (City Wise) एवं वर्षवार (Year Wise) लक्ष्य निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तैयार किये गये मार्किंग स्कीम (Marking Scheme) के अनुसार उपलब्धि अर्जित करने की दशा मे ही ग्रांट अवमुक्त करने को अनिवार्य किया गया है। इस विषय में विस्तृत विवरण Annexure I (संलग्नक **'क'** हिन्दी अनुवाद) पर दृष्टव्य है, जिसके अनुसार निकायों द्वारा एक्शन प्लान बनाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

5. परियोजनाओं की स्वीकृति व क्रियान्वयन :–

5(I).चयनित परियोजनाओं के विषयगत अनुमोदन/स्वीकृति हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कार्यों की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिये जाने के विषयगत समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5(II). 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगरीय स्थानीय निकायों को निर्गत अनुदान का उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में Tied Grant के अन्तर्गत उपयुक्त परियोजनाओं के चयन एवं उसके क्रियान्वयन को तदनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान समय–समय पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की Monitoring (अनुश्रवण) एवं समीक्षा की जायेगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त Tied Grantकी धनराशि उन्ही मदों में व्यय की जाए, जिनसे निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि अर्जित हो सके। Tied Grantकी आगामी किश्तें Million Plus नगर निगमों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त की गयी उपलब्धि के आंकलन एवं विश्लेषण के पश्चात् अवमुक्त की जायेगीं।

5(III). स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के उपभोग के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट Million Plus नगर निगमों से प्राप्त की जायेगी तथा भारत सरकार के संबंधित नोडल मंत्रालयों को प्रेषित की जायेगी, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा की यह धनराशि उन्ही मदों में व्यय की गयी है जिनसे निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि अर्जित की गयी है। Million Plus नगर निगमों द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में प्राप्त Tied Grantके अंतर्गत परिवेशी वायु गुणवत्ता (Ambient Air Quality) में सुधार, जल संरक्षण, आपूर्ति व प्रबन्धन में सुधार एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जिन मदों पर धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित किया जाये, उसकी सूचना निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5(IV). Non Million Plus नगरीय निकायों द्वारा 15वें वित्त आयोग में प्राप्त Tied Grant के अंतर्गत पेयजल में सुधार (Improving Water including Rainwater Harvesting & Waste Water Recycling) एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (Solid Waste Management) के जिन मदों पर धनराशि व्यय किया जाना

प्रस्तावित किया जाये, उसकी सूचना निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र :– राज्य स्तर पर नगर विकास विभाग व निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 तथा भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 15वें वित्त आयोग की अवशेष संस्तुतियों पर किये गये अनुपालन की मॉनीटरिंग समय–समय पर की जायेगी।

7. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में Million Plus Cities एवं Non-Million Plus Cities हेतु अवमुक्त Grant (अनुदान) की धनराशि का उपभोग उपर्युक्त दिशा–निर्देशों (Operational Guideline) के कम में सुनिश्चित कराते हुए शासन/निदेशालय को तदनुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्क–यथोक्त

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– ३०५ /नौ–9–2021–21ज/21 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य मिशन निदेशक (अमृत एवं स्वच्छ भारत मिशन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सहायक वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

(संलग्नक–क)

15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्श 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के लिये Tied Grantक्लेम करने के लिए मार्किंग स्कीम (Marking Scheme):–

15वें वित्त आयोग के अनुदान को क्लेम करने के लिये कतिपय अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं। Tied Grantहेतु 15वें वित्त आयोग ने भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक निकायवार (City Wise) वर्षवार (Year Wise) लक्ष्य निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष तैयार किये गये मार्किंग स्कीम (Marking Scheme)के अनुसार उपलब्धि अर्जित करने की दशा मे ही ग्रांट अवमुक्त करने को अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना तैयार कराकर उपलब्ध कराया जायेगा :–

- जलापूर्ति (Water Supply) एवं वेस्ट वॉटर मैनेजमेन्ट (Waster Water Management) के सापेक्षबेसलाइन इंडिकेटर्स (Baseline Indicators) एवं वार्षिक लक्ष्य (Yearly Targets)।
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट (Solid Waste Management) के सापेक्ष लक्ष्य आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के द्वारा पूर्व से ही निर्धारित है।

अनिवार्य शर्तें (Mandatory Conditions):–

Table: 1

S. No.	FY 2021-22	
1.	Audited accounts published for all ULBs on State/ULB website for the year before the preceding year with respect to award year*	Yes/No
2.	स्वकर निर्धारण प्रणाली के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु Property Tax Floor Rate (प्रतिवर्ग फिट मासिक किराया दर) notified	Yes/No
	FY 2022-23 and onwards	
3.	गत वर्ष की तुलना में सम्पत्ति कर से होने वाली आय में State GSDPके समान वृद्धि (Increase in Property Tax Collection over previous year in tandem with the state GSDP)	Yes/No
	Increase in Property Tax Collection over previous year	
	Increase in GSDP over previous year (in %)	

*Illustration: For ULB to become eligible for 2021-22 grants, audited accounts for 2019-20 should be published.

Service Level Indicators and Targets:-

निकायों के Performance (प्रदर्शन) का आंकलन लक्ष्यों के सापेक्ष किया जायेगा। मार्किंग स्कीम (Marking Scheme)के संबंध में निकायवार वांछित सूचना City Finance Portal (https://cityfinance.in) पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक स्थानीय निकाय निदेशालय के द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव नगर विकास विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त uploadकिया जायेगा।

(i) Million Plus and Other than Million Plus cities

Table: 2

1- Waste Supply and Waste Water Management.						
Service Level Indicator	Service Level Benchmark	Baseline Indicator	Target			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.1 Households	100%					

covered with piped water supply		Achieved %	Achieved %	Achieved %	Achieved %	Achieved %
1.2 Water supplied in litre per capita per day (lpcd)	135					
		Achieved %	Achieved %	Achieved %	Achieved %	Achieved %
1.3 Reduction in Non-Revenue Water (NRW)#	20%					
		Achieved %	Achieved %	Achieved %	Achieved %	Achieved %
1.4 Household covered with sewerage/Septage services@	100%					
		Achieved %	Achieved %	Achieved %	Achieved %	Achieved %
1.5 Recycling/Reuse of Water	वर्ष 2021–22 में Tied Grant की द्वितीय किश्त प्राप्त करने की अर्हता के लिए नगरीय निकायों को कम से कम एक परियोजना रिसाइक्लिंग/रियूज ऑफ वॉटर अगस्त, 2021 तक चयन करना होगा एवं चयनित परियोजना को वर्ष 2023–24 तक पूर्णरूप से लागू (Implement) कर देने के पश्चात ही 2024–25 एवं उसके आगामी वर्षों के लिए Tied Grant प्राप्त करने के लिए निकाय अर्ह (eligible) होंगे।					
1.6 Rejuvenation of Water Bodies	वर्ष 2021–22 में Tied Grant की द्वितीय किश्त प्राप्त करने की अर्हता के लिए नगरीय निकायों को कम से कम एक परियोजना Rejuvenation of Water Bodies अगस्त, 2021 तक चयन करना होगा एवं चयनित परियोजना को वर्ष 2023–24 तक पूर्णरूप से लागू (Implement) कर देने के पश्चात ही 2024–25 एवं उसके आगामी वर्षों के लिए Tied Grant प्राप्त करने के लिए निकाय अर्ह (eligible) होंगे। नगरीय निकाय में कोई भी Water Bodies न होने की दशा में उनके द्वारा एक Community based Rain Water Harvesting परियोजना का चयन करना होगा।					

 # नॉन रिवेन्यू वॉटर(NRW) :-नॉन रिवेन्यू वॉटर का तात्पर्य है, उत्पादित पेयजल (Produced Water) का वह अंश जो यूटिलिटी की श्रेणी में नहीं आता और न ही जिससे कोई राजस्व अर्जित होता है।

$$\text{NRW (\%)} = \frac{\text{वॉटर ट्रीटमेंट प्लान्ट WTP पर कुल उत्पादित जल (Total Water Produced)–बिक्रीत पेयजल (Water sold)}}{\text{वॉटर ट्रीटमेंट प्लान्ट पर कुल उत्पादित पेयजल (Total Water Produced ex-treatment plant)}} \times 100$$

NRWके प्रकार :–

(a) उपभोग किये जाने वाले पेयजल का वह भाग जो अधिकृत तो है परन्तु जिसके सापेक्ष कोई राजस्व अर्जित नहीं होता। जैसे– पब्लिक स्टैंड पोस्ट (सार्वजनिक नल)।
(b) स्पष्ट रूप से दिखने वाली हानियाँ। जैसे–अवैध जल संयोजन एवं पेयजल की चोरी।
(c) वास्तविक हानियाँ जैसे पेयजल वितरण नेटवर्क में लीकेज।

निकायों के द्वारा वेस्ट वॉटर मैनेजमेन्ट प्लान (Waste Water Management Plan) तैयार किया जायेगा जिसमें इस बात का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जायेगा कि निकाय में कितना सीवरेज उत्पादित (generate) होता है तथा इसके ट्रीटमेंट/सुरक्षित निस्तारण (Treatment/safe disposal) के लिए योजना प्रस्तुत करना होगा। निकायों के द्वारा वर्ष 2020–21, 2021–22 के Tied Grantकी द्वितीय किश्त क्लेम करने के साथ वेस्ट वॉटर मैनेजमेन्ट प्लान नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 के माध्यम से भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) को प्रस्तुत करना होगा। उक्त पैरामीटर के अंतर्गत उन निकायों को 10%अतिरिक्त वेटेज दिया जायेगा जिन्हे ODF ++Certification प्राप्त हुआ है।

Table-3

2. Solid Waste Management									
2.1 Garbage free Star Rating of the cities	2020-21	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	Cities will complete the gap analysis and identify the projects for bridging the gap. The report will be uploaded on City	Target	Score	Target	Score	Target	Score	Target	Score
		3 Star	100%	5 Star	100 %	5 Star	100 %	7 Star	100 %
		1 Star	100 %	3 Star	100 %	3 Star	100 %	3 Star	100 %
		No Star	70 %	1 Star	80 %	1 Star	60 %	1 Star	60 %

	Finance Portal			No Star	60 %	No Star	50 %	No Star	40 %
2.2 Coverage of Water Supply for Public/ Community Toilet	Cities will complete the gap analysis and identify the projects for bridging the gap. The report will be uploaded on City Finance Portal.	ODF+	100%	ODF+	100%	ODF+	100%	ODF+	100%
		ODF	80%	ODF	80%	ODF	80%	ODF	80%

Million Plus Cities (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र):–

वर्ष 2021–22 एवं आगामी वर्षों के लिए Grant (अनुदान) क्लेम करने के लिए टेबल–1, 2 एवं 3 में अंकित मानदण्डो के अतिरिक्त 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्र (Million Plus Cities) को टेबल–4 में अंकित documents को 31 जनवरी 2021 तक submit करने की समयावधि निर्धारित की गयी थी एवं उक्त समस्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में कार्यवाही 31 मार्च 2021 तक अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

Table-4

S.No.	Documents
1	City plan/DPR including year wise targets for 2020-26 to be prepared by each city in consultation with Directorate of Local Bodies (including State Mission Directorate-AMRUT/SBM).
2	Water Balance Plan
3	Service Level Improvement Plan (SLIPs), with reference to baseline year 2020-21 for water supply including universal coverage, water security by means of water conservation, recovery of user charges, decrease in non-revenue water, and reuse of treated water.
4	Solid Waste Management, the cities shall prepare a plan for environmentally sustainable 100% collection with segregation and recycling of solid waste to achieve garbage free cities.

Score distribution :- अर्हक तंत्र (Qualifying Mechanism) में आने के लिए, शहरों का मूल्यांकन निम्नलिखित अंक वितरण के अनुसार किया जायेगा :–

Table: 6

	Indicator	Maximum Marks
1	**Water Supply and waste water management**	
1.1	Households covered with piped water supply	20
1.2	Water supplied in liters per capita a day (lpcd)	5
1.3	Reduction in non-revenue water(NRW)	5
1.4	Household covered with sewerage/septage services	10
1.5	Recycling/reuse of water	10
1.6	Rejuvenation of water bodies	10
2	**Solid Waste Management**	
2.1	Garbage free star rating of the cities	30
2.2	Coverage of water supply for public/community toilets	10

Allocation of tied grants vis-a-vis score obtained (अर्जित स्कोर के सापेक्ष tied grants का आवंटन) :–

Marks obtained	40 से कम	40 और 60 के बीच	60 और 75 के बीच	75 और 90 के बीच	90 से अधिक
Recommended tied grant	0%	60%	75%	90%	100%

नगरीय स्थानीय निकायों को उपर्युक्त Target Indicators के सापेक्ष प्रगति किये जाने के संदर्भ में प्राप्त Cumulative Score के आधार पर Tied Grant अवमुक्त किया जायेगा। उपरोक्तानुसार अपेक्षित (पर्याप्त) स्कोर प्राप्त न करने के कारण कुल अवितरित ग्रान्ट उन नगरीय निकायों के ग्रांट के शेयर के अनुपात में दी जायेगी जिनका स्कोर 60 से अधिक होगा। जिन नगरीय निकायों द्वारा न्यूनतम 40 अंक भी अर्जित नहीं किया जा सकेगा उनके लिए निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 के द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में "Remedial Action Committee" का गठन कराया जायेगा, समिति ऐसे निकायों के खराब परफारमेंस के कारणों का आंकलन करते हुए उनमें सुधार हेतु योजना तैयार करेगी। इस संबंध में नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा Tied Grant के अगली किश्त के क्लेम के साथ भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

टिप्पणी :–

1. Baseline Data, Targets तथा क्रमांक 2 (Service Level Indicators and Targets) पर अंकित इस योजना के सम्बन्ध में अन्य सूचनाओं का submission 'सिटी फाइनेंस पोर्टल' पर किये जाने के पश्चात ही वर्ष 2021–22 की ग्रांट/अनुदान अवमुक्त की जायेगी।
2. पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के पश्चात् वर्ष 2022–23 एवं आगामी वर्षों की ग्रांट/अनुदान अवमुक्त की जायेगी। नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा 'सिटी फाइनेंस पोर्टल' पर उस वर्ष के Tied Grantके प्रथम किश्त के क्लेम के साथ वांछित सूचनायें submit किया जायेगा।
3. वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष Service Level Indicators में हुए सुधार/improvement का measurement किया जायेगा जिसका सत्यापन नगरीय निकाय (ULB) तथा नगरीय निकाय निदेशालय के स्तर पर किया जायेगा।

Annexure-II

Marking Scheme for claiming Tied Grant under 15th Finance Commission for the period 2021-22 to 2025-26

15th Finance Commission (15th FC) in its report for the year 2020-21 has divided the grants into untied and tied to water supply and solid waste management. It has prescribed certain mandatory conditions for claiming the FC grants.

For tied grants, 15th FC has mandated Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) to develop city-wise and year-wise targets, in consultation with the State Governments, for 2020-25 and recommend disbursal of grants. Accordingly this marking scheme has been prepared. States will intimate baseline indicators and yearly targets against 'Water supply and waste water management'. Targets against 'Solid waste management' have already been fixed by MoHUA.

1. Mandatory Conditions:

Table:1

S.No.	FY 2021-22	
1.	Audited accounts published for all ULBs on State/ULB website for the year before the preceding year w.r.t the award year*	Yes/ No
2.	Property tax floor rate notified	Yes/ No
	FY 2022-23 and onwards	
3.	Increase in Property tax collection over previous year in tandem with the State GSDP	Yes/ No
	Increase in property tax collection over previous year (in %)	
	Increase in GSDP over previous year (in %)	

* Illustration: For ULB to become eligible for 2021-22 grants, audited accounts of year 2019-20 should be published.

2. Service Level Indicators and Targets:

Performance of the cities will be assessed with respect to the target. ULB wise information asked in this marking scheme shall be uploaded on City Finance Portal (https://cityfinance.in) by 31 December 2020 by the State after approval from Principal Secretary/ Secretary (UD). The relevant fields on the portal shall be operational by 30 October, 2020.

(i) Million Plus and Other than Million Plus cities

Table:2

1. Water Supply and Waste Water Management						
Service Level Indicator	Service Level Bench Mark	Baseline Indicator	Target			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.1 Households covered with piped water supply	100%		Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No
1.2 Water Supplied in litre per capita per day (lpcd)	135		Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No
1.3 Reduction in Non-Revenue Water (NRW)#	20%		Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No
1.4 Household covered with sewerage/ septage services@	100%		Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No	Achieved Yes/ No
1.5 Recycling/ reuse of water	ULB/ city will select at least one project for recycling/ reuse of water by August, 2021 for being eligible for second instalment of tied grant for the year 2021-22. City will implement this/these project/s by the year 2023-24 for being eligible for tied grants for the year 2024-25 and onwards.					
1.6 Rejuvenation of water bodies	ULB/ city will select at least one project for rejuvenation of water bodies by August, 2021 for being eligible for second instalment of tied grant for the year 2021-22. City will implement this/ these project/s by the year 2023-24 for being eligible for tied grants for the year 2024-25 and onwards. In case the city does not have any water body, it will select one community based Rain Water Harvesting project.					

#Non-Revenue Water (NRW): Water produced which does not earn the utility any revenue.

NRW (%) = [{Total water produced (ex-treatment plant) - Total water sold}/ Total water produced (ex-treatment plant)]*100.

Components of NRW: a) Consumption which is authorized but not billed, such as public stand posts; b) Apparent losses such as illegal water connections, water theft and metering inaccuracies; c) Real losses such as leakages in the transmission and distribution networks.

@ULB shall prepare a waste water management plan having details of total sewage generated in the ULB and plan for treatment/safe disposal of the same. City will share waste water management plan with MoHUA along with the claim for second instalment of tied grant for the year 2021-22.10% weightage of this parameter will be allocated to ODF++ certification.

Table:3

2. Solid Waste Management									
2.1 Garbage free Star Rating of the cities	2020-21	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	Cities will complete the gap analysis and identify the projects for bridging the gap. The report will be uploaded on City Finance Portal	Target	Score	Target	Score	Target	Score	Target	Score
		3 Star	100%	5 Star	100%	5 Star	100%	7 Star	100%
		1 Star	100%	3 Star	100%	3 Star	100%	3 Star	100%
		No Star	70%	1 Star	80%	1 Star	60%	1 Star	60%
				No Star	60%	No Star	50%	No Star	40%
2.2 Coverage of Water Supply for Public/ Community Toilet	Cities will complete the gap analysis and identify the projects for bridging the gap. The report will be uploaded on City Finance Portal	ODF+	100%	ODF+	100%	ODF+	100%	ODF+	100%
		ODF	80%	ODF	80%	ODF	80%	ODF	80%

(ii) Million Plus cities

In addition to the criterion mentioned in table 1,2 and 3, Million Plus cities shall be required to submit the documents mentioned in table-3 by 31 December, 2020 for claiming the grants for the year 2021-22 and onwards:

Table: 4

S.No.	Documents
1.	City plan/DPR including year wise targets for 2020-26 to be prepared by each city in consultation with respective States.
2.	Water balance plan
3.	Service Level Improvement Plans (SLIPs), with reference to baseline year 2020-21 for water supply including universal coverage, water security by means of water conservation, recovery of user charges, decrease in non-revenue water, and reuse of treated water.
4.	Solid Waste Management, the cities shall prepare a plan for environmentally sustainable 100% collection with segregation and recycling of solid waste to achieve garbage free cities.

3. Timeline for various activities

Table: 5

S.No.	Activities	Timeline
1.	States to send claim for tied grant after evaluation of performance of ULBs and due verification to MoHUA along with Utilization Certificate of the previous tied grants received.	By 15 May and 15 September of each award year
2.	MoHUA shall recommend grants for the eligible States to Ministry of Finance for release of tied grants to States.	By 7 June and 7 October of each year
3.	i. The States shall transfer grants-in-aid to the local bodies within ten working days of receipt from the Union Government. Any delay beyond ten working days will require the State Governments to release the same with interest as per the effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.	Within 10 working days of receiving the grant

4. Score distribution:

In order to arrive at a qualifying mechanism, cities will be assessed as per following score distribution:

Table: 6

	Indicator	Maximum Marks
1	**Water Supply and waste water management**	
1.1	Households covered with piped water supply	20
1.2	Water supplied in liters per capita a day (lpcd)	5
1.3	Reduction in non-revenue water (NRW)	5
1.4	Household covered with sewerage/ septage services	10
1.5	Recycling/ reuse of water	10
1.6	Rejuvenation of water bodies	10
2	**Solid Waste Management**	
2.1	Garbage free star rating of the cities	30
2.2	Coverage of water supply for public/community toilets	10

5. Allocation of tied grants vis-à-vis score obtained

(i) Mainland States:

Marks obtained	<40	≥40 and ≤60	>60 and ≤75	>75 and ≤ 90	> 90
Recommended tied grant	0%	60%	75%	90%	100%

(ii) North East and Hill States:

Marks obtained	<30	≥30 and ≤50	>50 and ≤65	>65 and ≤ 80	> 80
Recommended tied grant	0%	60%	75%	90%	100%

Tied grant will be released to ULBs based on their cumulative score with respect to progress against the target indicators mentioned above. Total undistributed grants due to insufficient score will be distributed by the State among the ULBs with more than 60 marks (main land States)/ 50 marks (North East and Hill States) in proportion to the share of their grants.

In case some of the cities are not able to score minimum marks i.e. 40 in case of Mainland States and 30 in case of North East and Hill States, State shall constitute a "Remedial Action Committee" under the chairmanship of Principal Secretary/ Secretary (UD) to evaluate the reasons for lower achievements and to chalk out the plan for improvement. State shall submit the report along with claim for next instalment of tied grants.

Note:

i. Grants for 2021-22 will be released on submission of Baseline data, targets and other information as per Sl. No. 2 (i.e. Service Level Indicators and Targets) of this scheme on City Finance Portal.

ii. Grants for the year of 2022-23 and onwards shall be released on achievement of the targets for previous year. States will submit the required information on City Finance Portal along with claim for 1st instalment of tied grant for that year.

iii. Improvement in service level indicators will be measured against the yearly target which shall be verified at the State and ULB level.